

२५¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। रक रक कर तीन बार
आवाज दिलाई गई। न तो वकील वादी उप.
न ही वादी उप. बेसी तस्वीर में न्यायालय
अदालत को आगे जैरकार रखना उचित
नहीं समझा है। अतः अदालत अपम
दाजरी अपम पेशी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली केसल सुमार दैकर नम्बर
से कम ही जावे। निर्णय आज दिनांक
२५-०१-२०२३ को सरे इजलास सुनाया
गया। ↓